(अमित रावल, जे.)
अमित रावल से पहले जे.
कृष्ण कुमार गर्ग - याचिकाकर्ता
बनाम
अंगिंदर सिंह और अन्य - प्रतिवादी
2015 की सीआर संख्या 5583
16 दिसंबर 2016

भारत का संविधान**, 1950-**अनुच्छेद। **226 -** खंडन में अतिरिक्त साक्ष्य की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करना **-** खंडन मुद्दे के अभाव में**,** अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से या खंडन साक्ष्य की आड़ में साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती **-** इसलिए वर्तमान याचिका **-** आदेश **18** नियम **3**।
अभिनिर्धारित किया गया कि विशिष्ट निष्पादन और डिक्री को चुनौती देने वाले मुकदमे की प्रकृति**,** जैसा कि ऊपर देखा गया है**,** वादी को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा**,** क्योंकि डिक्री को चुनौती देने का दायित्व काफी हद तक उस पर निर्भर करता है। वादी सकारात्मक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है और प्रतिवादी ने साक्ष्य का नेतृत्व किया है**,** खंडन मुद्दे की अनुपस्थिति में वादी को अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से या खंडन साक्ष्य की आड़ में साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 4)

राजीव दुग्गल, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

के. आर. धवन,अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 3 के लिए

अलका चतरथ, अधिवक्ता

प्रतिवादी Nos.6 और 7 के लिए, में 2015 के सी. आर. No.5613 ।

अमित रावल जे**.** मौखिक

(1) मेरा यह आदेश याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने से उत्पन्न होने वाली दो पुनरीक्षण याचिकाओं का निपटान करेगा, जिसमें बेचने के समझौतों के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करने वाले मुकदमों में खंडन में अतिरिक्त सबूत देने के लिए और साथ ही दिनांक 15.10.2008 के डिक्री को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता-वादी दिनांक 14.08.2015 के आक्षेपित आदेश से व्यथित है जिसके तहत रसीद पर हस्ताक्षर की जांच के लिए विशेषज्ञ की सहायता लेने का आवेदन खारिज कर दिया गया है।

(2) याचिकाकर्ता-वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राजीव दुग्गल का कहना है कि उन्हें उपरोक्त तथ्य की जानकारी नहीं थी और ऐसा तथ्य केवल प्रतिवादी की जिरह के दौरान सामने आया। इस मामले की पृष्ठभूमि में, उपरोक्त आवेदन दायर किया गया था। वादी ने अग्निन्द्र सिंह के हस्ताक्षर पर कोई विवाद नहीं किया था। यह केवल समझौता डिक्री के अन्य गवाहों के संबंध में है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 3 हरि कृष्ण ने रसीद के गवाहों के बारे में अनभिज्ञता जताई।

(3) श्री के.आर. धवन प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और 2015 के सीआर संख्या 5613 में प्रतिवादी संख्या 6 और 7 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री अलका चतरथ का कहना है कि उपरोक्त आवेदन सही तरीके से खारिज कर दिया गया है क्योंकि खंडन का कोई मुद्दा नहीं है। वादी पर सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य था क्योंकि वादी ने विशिष्ट निष्पादन की राहत का दावा करते समय समझौता आदेशों को भी चुनौती दी थी, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए आवेदन खारिज कर दिया गया है। अपने तर्क के समर्थन में, वे अवतार सिंह और अन्य बनाम बलदेव सिंह और अन्य 1 में इस न्यायालय की तीन डिवीजन बेंच के फैसलों पर भरोसा करते हैं; सुरजीत सिंह और अन्य बनाम जगतार सिंह और अन्य 2 और जगदेव सिंह और अन्य बनाम दर्शन सिंह और अन्य 3।

इस अदालत ने अवतार सिंह और एक अन्य बनाम बलदेव सिंह और अन्य **1;** सुरजीत सिंह और अन्य बनाम जगतर सिंह और अन्य **2** और जगदेव सिंह और अन्य बनाम दर्शन सिंह और अन्य **3.**

(4) मैंने मुकदमाकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, कागजी पुस्तक का मूल्यांकन किया है और इस विचार के बारे में कि विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले मुकदमे की प्रकृति और जैसा कि ऊपर देखा गया है, डिक्री को चुनौती देने के लिए अभियोक्ता को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि डिक्री को चुनौती देने की जिम्मेदारी काफी हद

उस पर निर्भर करती है।सकारात्मक रूप से दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने और प्रतिवादियों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद, अभियोक्ता को, खंडन मुद्दे की अनुपस्थिति में में, अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से या खंडन साक्ष्य की आड़ में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।मेरा यह दृष्टिकोण इस न्यायालय की तीन खंड पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों में लिए गए अनुपात निर्णय से मजबूत होता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं:-

"प्रश्न संख्या 1 अर्थात् क्या विचारण निचली अदालत के लिए अभियोक्ता को केवल उन मामलों में खंडन में साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है जहां उसने खंडन का अपना अधिकार सुरक्षित रखा था?

1 2015(1) पीएलआर 230

2 2007(1) आरसीआर (सिविल) 537

3 2007(1) आर. सी. आर. (सिविल) 794

(अमित रावल, जे.)

6. इस अदालत की खण्ड पीठ ने सुरजीत सिंह के मामले (ऊपर) में पहले के एक फैसले पर भरोसा करते हुए खण्ड पीठ जसवंत कौर और अन्य बनाम

देविंदर सिंह**,** ए**.** आई**.** आर**. 1983** पी एंड एच **210 (**डी**.** बी**.)** और एक एकल पीठ

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम म्यूनिसिपल कमेटी, भटिंडा और एक अन्य, ए. आई. आर. 1982 पी. एंड एच. 432 (1), आदेश 18 नियम 3 के प्रावधानों के वास्तविक महत्व को स्पष्ट किया।और कानून का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है वह यह है कि अभियोक्ता के पास सभी मुद्दों पर अपने पूरे साक्ष्य प्रस्तुत करने का विकल्प है, और यदि वह खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने या प्रतिअभियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का जवाब देने का इरादा रखता है, तो उन मुद्दों के संबंध में जिनके प्रमाण की जिम्मेदारी प्रतिअभियोक्ता पर है, उसे अपना अधिकार सुरक्षित रखना होगा।इसके अलावा, उसे अपने विकल्प का प्रयोग तब करना होगा जब वह सकारात्मक रूप से अपने साक्ष्य को बंद कर दे या किसी भी मामले में दूसरे पक्ष द्वारा अपना साक्ष्य शुरू करने से पहले।लेकिन यदि वह आदेश 18 नियम 3 सी. पी. सी. के प्रावधान के संदर्भ में ऐसा कोई अधिकार

सुरक्षित रखने में विफल रहता है, तो खंडन में साक्ष्य देने का उसका अधिकार जब्त हो जाएगा।

प्रश्न संख्या 2 अर्थात क्या अभियोक्ता स्वतंत्र रूप से ऐसे मुद्दों पर खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी जिम्मेदारी विशुद्ध रूप से प्रतिअभियोक्ता पर है?

आदेश 18 नियम 3 सी. पी. सी. के प्रावधानों और सुरजित सिंह के मामले (ऊपर) में खण्ड पीठ द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांत को सीधे पढ़ने से यह स्वयंसिद्ध है कि एक मामले में, जहां कई मुद्दे हैं, और जिनमें से कुछ सबूत का बोझ प्रतिअभियोक्ता पर है, अभियोक्ता जो मामले के प्रति सचेत है और मुद्दे के मामले के प्रति जीवित है, वह सभी मुद्दों के लिए अपनी गवाही पूरी तरह से प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें वे सबूत भी शामिल हैं जिनकी जिम्मेदारी प्रतिअभियोक्ता पर है।या उन मुद्दों के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य का नेतृत्व करने के बाद, जिसके प्रमाण की जिम्मेदारी स्वयं अभियोक्ता पर है, वह खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रख सकता है।दावा करने की आवश्यकता है, खंडन में प्रमुख साक्ष्य भी वादी के साक्ष्य का एक हिस्सा है।चाहे वह एक साथ सभी मुद्दों का नेतृत्व करे और अपने साक्ष्य को बंद करे या खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखे।

(5) उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि चुनौती के तहत आदेश पूरी तरह से कानूनी और उचित हैं।हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

अमित अग्रवाल

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सरिता गुप्ता